प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 03.07.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1- अवैध तमंचा कारतूस के साथ 01 आरोपी गिरफ्तार थाना बिलारीः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद श्री सतपाल अंतिल के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री/तस्करी पर रोकथाम व संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 02.07.2024 की रात्रि में उ0नि0 श्री राम कुमार थाना बिलारी द्वारा मय हमराही पुलिस बल अभियुक्त पंकज कुमार गोस्वामी पुत्र सतीश कुमार नि0 ग्वारउ थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद को 01 अवैध तमन्चा नाजायज 315 बोर व एक कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में में उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना बिलारी पर मु0अ0स0 395/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

2- थाना सिविल लाईन्स पर पंजीकृत मु0अ0स0- 571/2023 धारा 85,80(2) बीएनएस व ¾ दहेज अधिनियम से सम्बन्धित दहेज हत्या के 04 नफर अभियुक्तगण को थाना सिविल लाईन्स पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद श्री सतपाल अंतिल के निर्देशन में अपराध व अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन्स मुरादाबाद के नेतृत्व मे आज दिनांक 03.07.2024 को थाना सिविल लाइन्स पुलिस टीम द्वारा थाना सिविल लाइन्स पर पंजीकृत मु0अ0स0 571/2023 धारा 85,80(2) बीएनएस व ¾ दहेज अधिनियम के अभियुक्तगण 1. इमरान 2. मेहराज 3. इरशाद पुत्र गण शाहबुद्दीन 4. आमना पत्नि शाहबुद्दीन निवासी रामगंगा बिहार टीडीआई सिटी गेस्ट हाउस फेस 2 सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा बाद आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1. इमरान पुत्र शाहबुद्दीन निवासी रामगंगा बिहार टीडीआई सिटी गेस्ट हाउस फेस 2 सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद
2. मेहराज पुत्र शाहबुद्दीन निवासी रामगंगा बिहार टीडीआई सिटी गेस्ट हाउस फेस 2 सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद

3. इरशाद पुत्र शाहबुद्दीन निवासी रामगंगा बिहार टीडीआई सिटी गेस्ट हाउस फेस 2 सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद

4. आमना पत्नी शाहबुद्दीन निवासी रामगंगा बिहार टीडीआई सिटी गेस्ट हाउस फेस 2 सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संदीप मिश्रा थाना सिविल लाईन्स मुरादाबाद।
2. उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना सिविल लाईन्स मुरादाबाद
3. हे0कां0 सोनू कुमार थाना सिविल लाईन्स मुरादाबाद
4. कां0 बाबर थाना सिविल लाईन्स मुरादाबाद
5. म0कां0 सुषमा थाना सिविल लाईन्स मुरादाबाद

3- थाना बिलारी पुलिस द्वारा 01 वारंटी गिरफ्तार किया गया-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, वांछित/वारंटी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 03.07.2024 को उ0नि0 श्री साहब सिंह थाना बिलारी द्वारा मय हमराही पुलिस बल के मुकदमा नं0 302/12 अ0सं0 335/11 धारा 376/506 भादवि से सम्बन्धित वारंटी मुकेश कुमार पुत्र रामपाल उर्फ़ रामफल नि. ग्राम स्योडारा थाना बिलारी मुरादाबाद को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

4- लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने, दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने का 01 आरोपी गिरफ्तार थाना मूँढापाण्ड़ेः-

अवगत कराना है कि दिनांक 02.07.2024 को वादी निवासी थाना मूँढापाण्डे क्षेत्रान्तर्गत ने आरोपी द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाने, तथा दुष्कर्म करने के संबंध में थाना मूँढापाण्डे पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मूँढापाण्डे पर मु0अ0सं0- 318/2024 धारा- 366/376/506 भादवि0 पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 03.07.2024 को व0उ0नि0 श्री मदनपाल सिह द्वारा मय हमराही पुलिस बल के आरोपी तुषार शर्मा पुत्र अखिलेश शर्मा नि0ग्राम हरसैनपुर थाना मूढापाण्डे जिला मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।